उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर

29वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 04 नवम्बर 2015

अध्यक्ष
रेवन्तराम सिहाग

प्रबन्ध संचालक
एल.के. जैन
दूरभाष : 2225500 (का.)

2013-14

अंकेक्षक :
जया एण्ड एसोसियेट, बीकानेर

पंजीकृत कार्यालय :
श्री गंगानगर रोड़, बीकानेर - 334002
तार : उरमूल फैक्स : 0151-2225556
ई-मेल : rcdfbik1.jp1@gmail.com
bikmu-rj@nic.in

आंतरिक अंकेक्षण : 2013-14

थानवी एण्ड कम्पनी, जयपुर

संघ के दुग्ध अवशीतन केन्द्र

1.	लूणकरनसर	: 01528-222076
2.	छत्तरगढ	: 01526-242406
3.	बज्जू	: 01535-232024
4.	श्रीडूंगरगढ़	: 01565-224144
5.	खाजूवाला	: 01520-233069

परामर्शदाता : **एल. के. जैन**
प्रधान सम्पादक : **डॉ. सुनील चौपड़ा**
सम्पादक : **महेश जोशी**
हरनाथ सिंह राठौड़
सम्पादन सहयोग : **नेमीचन्द खत्री**
: **सलीम भाटी**

आवरण : कल्पना **एल. के. जैन**
: निर्माण : **सुरेश कुमार मोदी**
कम्प्यूटर डिजाईनिंग : **मनीष कुमार**
मुद्रक : **मनीष प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स**
व्यापारियों का मौहल्ला, बीकानेर
टेली.: 0151-2522957
मोबाइल : 9414138557

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सन्देश	
2	अध्यक्षीय उद्बोधन	
3	प्रबन्ध संचालक की कलम से	
4	आमसभा की सूचना	3
5	प्रतिलिपि प्रस्ताव	4
6	गत आमसभा की अनुपालना की पुष्टि	5
7	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम लेखों के अनुमोदन पर विचार	15
8	वित्तीय राशि का आय-व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा वर्ष 2014-15	16
9	वित्तीय बजट 2015-16	17
10	भौतिक विवरण वर्ष 2015-16	20
11	पूंजीगत बजट वर्ष 2015-16	21
12	ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट ''भाग अ'' 2013-2014	23
13	ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट ''भाग ब'' 2013-2014	50
14	अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चों के अनुमोदन पर विचार 2014-15	57
15	वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2015-2016 की नियुक्ति पर विचार	57
16	आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति व पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार	58
17	विज्ञापन	59
18	वार्षिक कार्य योजना 2014-15	80

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर

श्रीगंगानगर रोड़, बीकानेर

(An ISO 9001 : 2008 15000(HACCP) Certified Organisation)

क्रमांक : उरमूल/आमसभा (29)/2015/11490 दिनांक 15.10.2015

आमसभा की सूचना

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

....

समस्त सदस्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.,

तहसील–बीकानेर/लूणकरणसर/कोलायत/नोखा/श्रीडूंगरगढ/खाजूवाला/छतरगढ/पूगल

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संघ की 29 वीं वार्षिक आमसभा वर्ष 2014–15 की बैठक का आयोजन दिनांक 04 नवम्बर 2015 को वार बुधवार समय प्रातः 11:15 बजे वेटरनरी कॉलेज ऑडिटोरियम में करणी सिंह सर्किल के पास बीकानेर मे किया जावेगा बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थित सादर प्रार्थनीय है ।

बैठक में निम्नांकित विचारणीय विषयो पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जावेगें।

विचारणीय विषय(ऐजेंडा)

1. संघ की गत आमसभा दिनांक 25.09.2014 की कार्यवाही एवं अनुपालना की पुष्टि।
2. वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम लेखों के अनुमोदन पर विचार।
3. संघ के वर्ष 2014–15 में वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चो के अनुमोदन पर विचार।
4. संघ के वर्ष 2015–16 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट के अनुमोदन पर विचार।
5. संघ के वर्ष 2013–14 की अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेप पूर्ति के अनुमोदन पर विचार।
6. वर्ष 2014–15 के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चो के अनुमोदन पर विचार।
7. संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2015–16 की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।
8. संघ में दिनांक 01.07.2015 से दिनाक 30.06.2016 तक के लिए आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार।
9. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

(एल.के.जैन)
प्रबन्ध संचालक

नोटः– 1. यदि निर्धारित समय पर कोरम पूर्ण नही हुआ तो स्थगित आमसभा उस दिन उसी स्थान पर एक घंटे पश्चात् होगी।
2. आम सभा में सदस्य समिति के अध्यक्ष ही भाग ले सकते है, जो अपना प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्ण कर साथ मे लायेंगे।
3. यदि कोई सदस्य समिति, संघ/दुग्ध समितियो के हित मे कोई सुझाव देना चाहती है तो दिनांक : 25 अक्टूबर 2015 तक सम्बन्धित इकाई के प्रभारी/परियोजना अधिकारी को लिखित मे प्रेषित कर सकती है ।

प्रतिलिपि प्रस्ताव

रजिस्ट्रेशन क्रमांक   दिनांक ....

आज दिनांक .... को .... दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड .... की प्रबन्धकारिणी की बैठक दिन के .... बजे .... स्थान पर श्री .... अध्यक्ष की अध्यक्षता मे हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव	**निर्णय**
1. उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि, बीकानेर की 29वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04 नवम्बर 2015 में अध्यक्ष को भेजने व हस्ताक्षर प्रमाणित करने पर विचार	1. सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि, बीकानेर की 29वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04 नवम्बर 2015 में इस समिति का प्रतिनिधत्व करने हेतु श्री .... पद अध्यक्ष के नमूना हस्ताक्षर निम्न प्रकार है।

प्रमाणित

नमूना हस्ताक्षर

सहायक परियोजना – अधिकारी /निरीक्षक
सहकारिता/डेयरी–सुपरवाईजर/ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
कार्यकर्ता ग्रेड प्रथम

(यहां समिति की मोहर लगायें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव समिति की कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ संख्या .... पर अंकित है। कार्यवाही रजिस्टर समिति में सुरक्षित है।

व्यवस्थापक   अध्यक्ष

नोट : इस प्रस्ताव की एक प्रति बैठक से तीन दिन पूर्व संघ कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिये।

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., बीकानेर

संघ की 28वीं वार्षिक आमसभा की बैठक दिनांक 25.09.2014 की अनुपालना रिपोर्ट

<table>
<tr><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th><th>अनुपालना</th></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.1 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आम सभा को सम्बोधन।</td><td>निर्णयः– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने भाषण में बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए संघ की प्रगति से अवगत करवाया गया जिसकी सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.2 संघ की गत आमसभा 30.09.2013 की विवरण कार्यवाही व अनुपालना की पुष्टि पर विचार।</td><td>निर्णयः– आमसभा द्वारा गत बैठक दिनांक 30.09.2013 की कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं निर्णयों एवं अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गई।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.3 वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतिम लेखों के अनुमोदन पर विचार।</td><td>निर्णयः– संघ के वर्ष 2013–14 के अन्तिम लेखे सदन के पटल पर रखे गये, विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव/अन्तिम लेखे का अनुमोदन किया गया।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.4 संघ के वर्ष 2013–14 में वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चो के अनुमोदन पर विचार।</td><td>निर्णयः– सदन में संघ के वर्ष 2013–14 की वित्तीय बजट राशि का आय–व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जिसका विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत बजट से अधिक व्यय खर्चो का अनुमोदन किया गया।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.5 संघ के वर्ष 2014–15 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट के अनुमोदन पर विचार।</td><td>निर्णयः– संघ के वर्ष 2014–15 के वित्तीय एवं पूँजीगत बजट जो संचालन मण्डल की बैठक दिनांक 27.04.2014 के प्रस्ताव/निर्णय संख्या 190(5) के द्वारा अनुमोदित किया गया, का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.6 संघ के वर्ष 2012–13 की अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेप पूर्ति के अनुमोदन पर विचार।</td><td>निर्णयः– सदन में संघ के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 के भाग–अ व भाग–ब की अनुपालना रिर्पोट प्रस्तुत की गई विचार विर्मश के पश्चात अंकेक्षण प्रतिवेदन व आक्षेप पूर्ति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.7 संघ के वर्ष 2013–14 के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चो के अनुमोदन पर विचार।
वर्ष 2013–14 के खर्चो का विवरण निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र.स</th><th>खर्च मद</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>01</td><td>अनुबन्धित वाहन अध्यक्ष के लिए</td><td>268343.00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>टेलीफोन/मोबाईल</td><td>7480.00</td></tr>
<tr><td>03</td><td>अध्यक्ष कार्यालय (यात्रा) खर्च</td><td>4264.00</td></tr>
<tr><td>04</td><td>संचालक मण्डल बैठक खर्च</td><td>71910.00</td></tr>
</table></td><td>निर्णयः– विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय एवं संचालक मण्डल के खर्चो का अनुमोदन किया गया।</td><td>पालना पूर्ण हुई है।</td></tr>
</table>

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
संघ द्वारा वर्ष 2013–14 में अनुबन्धित वाहन जो अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध करवाया गया का भुगतान उपरोक्त लेखा अनुसार किया गया है। अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चो के अनुमोदन पर विचार।		
एजेण्डा 28.8 संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2014–15 की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार। कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 28.05.2013 के अनुसार सोसायटियों द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की प्रकिया, लेखा परीक्षा पारिश्रमिक के निर्धारण तथा सोसायटियों की गत वर्षो की बकाया लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। आरसीडीएफ लि. जयपुर पत्र क्रमांक आरसीडीएफ/सै.ओ.ए.एमयू/13/9642–63 दिनांक 31.05.2013 एवं पत्र क्रमांक 6919–38 दिनांक 12.07.2013 में दिये निर्देशानुसार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के निर्धारित पैनल में से एक संक्षिप्त पैनल बनाने हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने संचालक मण्डल बैठक दिनांक 03.09.2014 में अनुमोदित चार्टेड एकाउन्टेट फर्मो के पैनल मे से तीन फर्मो का संक्षिप्त पैनल तैयार किया जो निम्न प्रकार से है:– 1. M/S S.B. Bagri & Co. E-25, Khajanchi Market, 1st Floor, K.E.M. Road, Bikaner-334001 2. M/S Mundhra Rathi & Asso. C/O Kishan chand Ladhuram Main Bazar, Sridungargarh (Bikaner)-331803 3. M/S S.G.T. & Co. S.K. House, First Floor, Nr Baba Ramdev Tent House, Rani Bazar, Bikaner-334001	निर्णयः– विचार विमर्श के पश्चात् सदन द्वारा M/S S.B. Bagri & Co. E-25, Khajanchi Market, 1st Floor, K.E.M. Road, Bikaner-334001 को वर्ष 2014–15 के लिए संवैधानिक अंकेक्षक उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक अनुसार नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	कार्यालय आदेश क्रमांक : उरमूल/ वै.अं. (सं. म.) 2014–15 /2014/ 11170–83 दिनांक 17.10.14 के अनुसार मैसर्स एस.बी. बागड़ी एण्ड क. चार्टेड एकाउन्डेन्ट, ई–25, खजान्वी मार्केन्ट, प्रथम तल, के.ई.एम. रोड़, बीकानेर 334001 को वर्ष 2014–15 के लिए संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्ति किया गया। पालना पूर्ण हुई।

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक को पारिश्रमिक वितीय सलाहाकार आरसीडीएफ लि. जयपुर के पत्रांक एफ-2/ आरसीडीएफ/ (सं.अ.एम.यू.)13/ 16302-21 दिनांक 10.07.2014 के अनुसार तय किया जाना है। आरसीडीएफ लि. द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक टर्न ओवर पांच करोड़ से अधिक होने पर संवैधानिक अंकेक्षक की फीस 17365/- रू. एवं यात्रा भत्ता व पॉकेट एलाउन्स के रूप में 17360/- रू. अधिकतम है। अतः नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक की अंकेक्षण फीस 17365/- रू. एवं यात्रा भत्ता व पॉकेट एलाउन्स के रूप में 17360/- रू. दिये जा सकते है। इस संक्षिप्त पैनल में से एक चार्टेड एकाउन्टेट फर्म को वित्तीय वर्ष 2014-15 का संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किये जाने एवं उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक तय किये जाने हेतु प्रस्ताव आम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।		
एजेण्डा 28.9 संघ में आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार। निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत होकर आदेश क्रमांक उरमूल डेयरी/आं.अ./13-14/5831 दिनांक 21.06.2013 के द्वारा मैसर्स थानवी एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, 101, नवजीवन चैम्बर, विनोबा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 को 01.07. 2013 से 30.06.2014 तक के लिए आन्तरिक अंकेक्षण नियुक्त किया गया था। इनका पारिश्रमिक राशि 10000/- रू. प्रतिमाह था। पारिश्रमिक का निर्धारण आरसीडीएफ लि. जयपुर के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय किया गया है एवं संघ की आम सभा दिनांक 30.09.2013 के प्रस्ताव/निर्णय संख्या 9 से उपरोक्त का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया था। मैसर्स थानवी एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, 101, नवजीवन चैम्बर, विनोबा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 का कार्यकाल दिनांक 30.06.2014 को समाप्त हो रहा है। संतोषजनक कार्य के आधार पर एक वर्ष का कार्यकाल बढाये जाने का निर्देशन आरसीडएफ लि. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.2/ आरसीडएफ/(एम. यु.आई.ए.)/14/5777-81 दिनांक 14.05.2014 को प्राप्त हुआ। (संलग्न-1) संघ में नियुक्त आन्तरिक अंकेक्षक का कार्य संतोषप्रद पाया गया। वित्तीय सलाहाकार, आरसीडएफ लि. जयपुर को पत्र	निर्णयः- विचार विमर्श के पश्चात् संघ में दिनांक 01. 07.2014 से दिनांक 30.06.2015 तक के लिए मैसर्स थानवी एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, 101, नवजीवन चैम्बर, विनोबा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 को आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कार्यालय आदेश क्रमांकः- उरमूल/लेखा/2014-15/ 2014/ 2186-87 दिनांक 21.05.2014 जारी किया गया कि स्वीकृति प्रदान की गई।	पालना पूर्ण हुई।

<table>
<tr><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th><th>अनुपालना</th></tr>
<tr><td>क्रमांक उरमूल/लेखा/2014-15/2014/1874 दिनांक 14.05.2014 लिखा गया (संलग्न-2) आन्तरिक अंकेक्षक ने भी कार्यकाल एक वर्ष बढाने के लिए निवेदन किया।(संलग्न-3)
संघ के पत्रांक उरमूल/लेखा/ 2014-15/2014/1874 दिनांक 14.05.2014 के प्रत्युत्तर में आरसीडएफ लि. जयपुर से पत्र क्रमांक एफ.2/ आरसीडएफ/(आई.ए.एम.यु.)/14/6645 दिनांक 20.05.2014 के द्वारा अनुमति (संलग्न-4) मिलने के उपरान्त आन्तरिक अंकेक्षक मैसर्स थानवी एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, 101, नवजीवन चैम्बर, विनोबा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 का एक वर्ष (01.07.2014 से 30.06.2015) के लिए कार्यकाल बढाये जाने का पत्र क्रमांक उरमूल/लेखा/2014-15/2014/2186-87 दिनांक 21.05.2014 जारी किया गया। (संलग्न-5)
आरसीडएफ लि. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.2/ आरसीडएफ/(.आई.ए.एम.यु)/14/244-64 दिनांक 03.04.2014 के द्वारा आन्तरिक अंकेक्षको की फीस में बढोतरी की गई जो कार्यकाल बढाने पर भी लागू रहेगी के अनुसार दिनांक 01.07.2014 से मैसर्स थानवी एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, 101, नवजीवन चैम्बर, विनोबा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 को फीस 11000/-रू.(अखरे रूपये ग्यारह हजार मात्र)+सर्विस टैक्स प्रतिमाह देय होगी। (संलग्न-6)
उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण रखा जाकर आदेश दिनांक 21.05.2014 का अनुमोदन एवं पुष्टि हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>एजेण्डा 28.10 संघ के उपनियम में किये गये संशोधन के अनुमोदन पर विचार।
कार्यालय अतिरिक्त रजिस्टार, सहकारी समितिया, बीकानेर खण्ड बीकानेर के पत्र क्रमांक फा.अरबी/नियम/उ.स./जि.दु.उ.स.स./14-15/4529-31 दिनांक 05.08.14 के अनुसार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघो के उपनियम मे संशोधन किये गये है, पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः-
<table>
<tr><th>उपनियम संख्या</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>14.4</td><td>नियमों के अधीन वर्ष के लेखे तैयार करने के लिए निश्चित तारीख की</td><td>नियमों के अधीन वार्षिक लेखे तैयार करने, ऑडिटर की नियुक्ति करने एवं आदेश सम्पन्न कराने के लिये 30</td></tr>
</table></td><td>निर्णयः- सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन एवं पुष्टि की गई ।</td><td>कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</td></tr>
</table>

प्रस्ताव			निर्णय	अनुपालना
उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान		
	समाप्ति के तीन माह के अन्दर अपने सदस्यों की एक साधारण सभा अवश्य होगी जो वार्षिक आम सभा कहलाएगी।	सितम्बर तक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा जो वार्षिक आम सभा कहलाएगी।		
16.1(5)	वर्षिक आम सभा रजिस्ट्रार से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट तथा उसकी आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन पर विचार करना।	नया जोडा गया (1) सोसायटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु साधारण निकाय अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना। (2) सोसायटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्धसोसायटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।		
19.1(1)	संचालक मण्डल सम्बद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों में से 11 सदस्य निर्वाचित होंगे जिनमे से 7 साधारण प्रतिनिधि, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछडा वर्ग व 1 महिला होगी। यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से पूर्वोक्त वर्गो के सदस्य किसी भी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नही होते है या उनमें कोई रिक्त हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गो के किसी सदस्य की कमी या रिक्त, ऐसी सोसायटी की समिति मे पूर्वोक्त वर्गो के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की या यथास्थिति भरी जायेगी।	संचालक मण्डल संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होगे। संचालक मण्डल के संचालक मण्डल का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराये जायेंगे। संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संघ व उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छः माह पूर्व लिखित सूचना अधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।		

प्रस्ताव			निर्णय	अनुपालना
उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान		
19.1(4)	एक प्रतिनिधि एन.डी.डी.बी. का	विलोपित		
19.1(7)	संचालक मण्डल में साधारण सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की उनके कार्यकाल में मृत्यु या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्तियां सहवरण के द्वारा भरी जावेगी। ऐसा सहवरित सदस्य अपना पद उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह चुना गया है, के शेष बचे हुए समय तक योग्यता सम्बन्धी शर्तो की अधीनता में रहते हुए, धारण करेगा।	संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27 (4) के प्रावधानानुसार की जावेगी ।		
21.2(6)	संचालक मण्डल की शक्तियां, उत्तरदायित्व तथा कार्य ऑडिट मीमों पर विचार करना तथा उसकी पूर्ति रिपोर्ट पठाना।	संचालक मण्डल की शक्तियां, उत्तरदायित्व तथा कार्य ऑडिटर द्वारा प्रेषित ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट तैयार करना तथा आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।		
32	कोई प्रावधान नहीं	नया जोडा गया । संघ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर- भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थातः- (क) अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्यंयन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ड) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हो, संचालन करने के बारे में घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करें।		

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
उपरोक्तानुसार उपनियम संशोधन का प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदन एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।		
एजेण्डा 28.11, 100/- रूपये तक की राशि (लेनदार व देनदार) दोनों पक्षों को डेबिट/क्रेडिट कर शेष राशि का समायोजन लाभ हानि खाते में करने के संचालक मण्डल के निर्णय के अनुमोदन पर विचार । संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों का भुगतान समितियों/ केन्द्रों/प्रस्तावित समितियों को किया जाता है । इसी प्रकार विभिन्न खरीद/ विक्रय का भुगतान भी विभिन्न पार्टियों को किया जाता है एवं प्राप्त भी किया जाता है । वार्षिक लेन देन में पैसों का भुगतान नहीं किया जाकर रूपयों तक भुगतान किया जाता है । उसी प्रकार विभिन्न पार्टियों एवं संस्थानों से संघ को भुगतान प्राप्त होता है वह भी रूपयों में होता है जबकि बिल राशि में पैसा भी अंकित होता है । बिल राशि से लेखा प्रविष्टि की जाती है । फलस्वरूप पैसों में रही शेष राशि खातों में प्रदर्शित होती रहती है । प्रति व्यवहार की राशि राउण्ड ऑफ नहीं किये जाने के कारण से विभिन्न पार्टियों को खाता शेष आगे से आगे चलता रहता है तथा प्रतिवर्ष यह राशि बढ़ती रहती है । यह लेनदार/देनदार दोनों व्यवहारियों के खाते में 100/- रूपये तक हो जाती है । अतः ऐसी 100/- रूपये तक की राशि का लेनदार / देनदार दोनों पक्षों की राशि को डेबिट/क्रेडिट कर शेष रही राशि का समायोजन लाभ हानि खाते में किये जाने के सम्बन्ध में संचालक मण्डल बैठक दिनांक 24.07.2014 के प्रस्ताव 190(8) पारित कर निर्णय लेकर प्रबन्ध संचालक, उरमूल को अधिकृत किया गया है । उपरोक्त संचालक मण्डल के द्वारा लिये गये निर्णय का संघ की आम सभा से अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत है।	निर्णयः- सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	निर्णय अनुसार पालना की जा रही है।
एजेण्डा 28.12 छः वित्तीय वर्षो से अधिक समय से संघ में जमा धरोहर/अमानत राशि को जब्त करने के निर्णय पर विचार। संघ में अनुबन्धक से धरोहर राशि जमा करवायी जाने का प्रावधान नियमानुसार है। परिवहन ठेकेदार जीप, ट्रक,टैंकर अनुबन्धक, सर्विस अनुबन्धक, माल आपूर्तिकर्ता अनुबन्धक, बूथ ऐजेण्ट इत्यादि से संघ में धरोहर /अमानत राशि जमा रखी जाती है । अनुबन्ध एक निश्चित अवधि एक या दो वर्ष के लिये किया जाता है जिसकी अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई भी जाती है ।	निर्णयः- दस वर्ष से अधिक समय से संघ में जमा धरोहर/अमानत राशि सर्वसम्मति से जब्त करने का निर्णय लिया गया।	निर्णय अनुसार पालना की जा रही है।

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
अनुबन्ध समाप्त होने पर एवं बकायानही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुबन्धक द्वारा मांग करने पर धरोहर राशि (जमा की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर) प्रक्रियागत वापस लौटायी जाती रही है । एक लम्बे समय से विभिन्न प्रकार के अनुबन्धकों की धरोहर राशि संघ में जमा पड़ी है। वर्ष 1995-96 से पूर्व लेखा पुस्तकों का संधारण मैनुअल किया जाता था । वर्ष 1995-96 के पश्चात् लेखा पुस्तकों का कम्पयूटर पर संधारण कियाजा रहा है । लेखा कम्युटरीकृत होने से पूर्व में जमा धरोहर राशि का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं है। सम्बन्धित पार्टी द्वारा बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं जमा राशि की रसीद के साथ भुगतान दावा प्रस्तुत ही नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में संवैधानिक अंकेक्षक ने भी टिप्पणियां की है। अतः छः वित्तीय वर्षो से अधिक समय होने पर संघ में जमा धरोहर/अमानत राशि का भुगतान मांग का दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में धरोहर/अमानत राशि को जब्त करने का निर्णय लेने तथा ऐसे अनुबन्धक जिन्होनें अनुबन्ध भंग किया है और अभी तक उनकी धरोहर राशि जब्त नहीं की गई है को भी जब्त करने का निर्णय लिये जाने हेतु प्रबन्ध संचालक उरमूल को 01.04.2013 से अधिकृत किये जाने का निर्णय संघ की संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 24.07.2014 में प्रस्ताव/निर्णय संख्या 190(9) में लिया गया है। अतः उक्त संचालक मण्डल के प्रस्ताव/निर्णय का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।		
एजेण्डा 28.13 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर (डबल बैंच) के निर्णय दिनांक 21.08.2014 की अनुपालना के निर्णय पर विचार। संचालक मण्डल की 191 वीं बैठक (विशेष) दिनांक 03.09.2014 के ऐजेण्डा व निर्णय संख्या 191(8) के निर्णयानुसार उरमूल संघ के कार्मिकों को छठा वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमाकः 7137-60 दिनांक 03.09.2014 प्रसारित किया गया । उक्त आदेश की पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।	निर्णयः- सर्वसम्मति से कार्यालय आदेश क्रमांक 7137-60 दिनांक 03.09.2014 की पुष्टि की गई।	पालना पूर्ण हुई।
एजेण्डा 28.14 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से । एजेण्डा 28.14(1) दुग्ध का खरीद मूल्य बढ़ाने पर विचार। श्री हेतराम पूर्व अध्यक्ष द्वारा दुग्ध खरीद मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।	निर्णयः- प्रबंधक संचालक महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि संघ की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर दुग्ध खरीद मूल्य बढ़ाने/घटाने का निर्णय लिया जावेगा, जिसका सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	दिनांक 01.07.15 को दुग्ध खरीद मुल्यों में बढ़ौतरी की गई है। पालना पूर्ण हुई।

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
एजेण्डा 28.14(2) बन्धाला समिति के अध्यक्ष श्री हेतराम द्वारा स्वंय के वाहन से संघ स्तर तक प्रतिलिटर दुध परिवहन व्यवस्था को बन्द करने का सुझाव दिया गया।	निर्णयः– प्रबंधक संचालक ने सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान में स्वंय के वाहन से संघ स्तर तक दुग्ध परिवहन व्यवस्था को धीरे–धीरे परिवहन व्यय को कम करते हुए बन्द करने का प्रयास किया जावेगा एवं तब तक प्रबंधक संचालक द्वारा गठित कमेटी द्वारा उक्त दुध की गुणवता की जांच की जावेगी।	समितियों द्वारा स्वयं के वाहन से डेयरी डोक तक दुग्ध पहुचाने पर दुग्ध परिवहन व्यय दिया जाता है। चुंकि ऐसी समितिया उत्पादक के घर–घर जाकर दुग्ध संकलन का कार्य करती है व संघ को दुध उपलब्ध करवाती है। इसके अतिरिक्त समितियों पर दुग्ध संकलन की मात्रा बहुत ही कम है। फिर भी दुग्ध परिवहन को धीरे–धीरे कम किया जा रहा है। गत वर्ष से लगभग 2/– रू. प्रति लीटर कम दिया जा रहा है। जैसे ही धीरे–धीरे समितियों पर दुग्ध संकलन की मात्रा में बढ़ौतरी होगी यह व्यवस्था धीरे–धीरे बन्द कर दी जावेगी।
एजेण्डा 28.14(3) डेयरी डोक एवं टेस्टिग रूम में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने पर विचार।	निर्णयः– विचार विमर्श के पश्चात् डेयरी डोक एवं टेस्टिग रूम में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया।	डेयरी डोक व लैब में सी. सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था है।
एजेण्डा 28.14(4) पशु आहार की दर कम करने पर विचार।	निर्णयः– आरसीडीएफ लि. जयपुर को पत्र लिखकर सदन की भावना से अवगत करवाये जाने का निर्णय लिया गया।	पशु आहार की दरों को कम करवाने हेतु सदन की भावना से आरसीडीएफ को पत्र लिखकर अवगत करवाया। दिनांक 21.10.2014 से आरसी डी एफ लि., जयपुर के आदेश क्रमांक : 29986 – 30016 के अनुसार पशु आहार की दरों में 1.50 रू. प्रति कि.ग्रा. की कमी की गई। पालना पूर्ण हुई।

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
एजेण्डा 28.14(5) पशुपालको को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दवाईयां पशु पालन विभाग के माध्यम से दी जा रही है, उक्त सुविधा डेयरी के माध्यम से दी जावे।	निर्णयः– इस बाबत् प्रबंधक संचालक आरसीडीएफ को पत्र लिखकर सदन की भावना से अवगत करवाये जाने का निर्णय लिया गया।	पशुपालको को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दवाईया पशु पालन विभाग के माध्यम से दी जा रही है। दिनांक 30.09.2015 की आरसीडीएफ की प्रोग्रामिग कमेटी की बैठक में प्रबंध संचालक आरसीडीएफ द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सुविधा समितियों के उत्पादको को भी उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास किये जा रहे है।
एजेण्डा 28.14(6) बीएडीपी योजना के अन्तर्गत दुग्ध समितियो को टेस्टिग उपकरण व भवन निर्माण की सुविधा दिलवाने पर विचार।	निर्णयः– बीएडीपी योजना के अन्तर्गत आने वाली दुग्ध समितियो को भवन निर्माण व टेस्टिग उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव मय भूमि पट्टा भिजवाने का निर्णय लिया गया।	बीएडीपी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रकोष्ट से बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। भविष्य में बजट जारी करवाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।
एजेण्डा 28.14(7) दही की दरो में संशोधन पर विचार।	निर्णयः– आगामी संचालक मण्डल की बैठक में उक्त प्रस्ताव रखकर इस पर निर्णय लिया जावेगा।	दिनांक 01.07.2015 से दही की दरों में संशोधन कर दिया गया है। पालना पूर्ण हुई।

एल. के. जैन
प्रबन्ध संचालक

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

सन्तुलन चित्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	वर्ष 2014—15	
1. कोषों के स्त्रोत :		
1. पूंजी खाता		5,75,39,541.20
2. ऋण दायित्व		29,92,72,350.08
3. चालू दायित्व		25,46,99,948.03
4. लाभ–हानि खाता		(—)31,61,25,678.29
प्रारम्भिक शेष	(—) 32,69,21,920.22	
चालू अवधि	1,07,96,241.93	
योग		**29,53,86,161.02**
2. कोषों के विनोयजन :		
1. स्थायी सम्पतियाँ		2,73,07,824.93
2. विनियोजन		4,25,45,174.77
3. चालू सम्पतियाँ		22,55,33,161.32
योग		**29,53,86,161.02**

ह./–
उप–प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
प्रबन्ध संचालक

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के दिनांक 31.3.2015 के संतुलन चित्र, वर्ष के लाभ–हानि खाते की जांच कर ली है तथा हमारी सम्मति में अतिरिक्त इसके कि जिसका उल्लेख पृथक रूप से मूल ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, कथित संतुलन चित्र, लाभ–हानि खाता एवं हमको दी गई सूचनाएं, उत्तर तथा संघ की किताब व वाउचर के अनुसार संघ के कारोबार की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करते है।

ह./–
लेखा परीक्षक,
उरमूल, बीकानेर

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वर्ष 2014-2015 की वित्तीय बजट राशि का आय-व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा

(1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 तक)

(संक्षिप्त लाभ-हानि खाता)

(राशि हजारों में)

विवरण	वर्ष 2014—15	
	वित्तीय बजट राशि	वास्तविक आय / व्यय
1. आय मद		
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री	1675034	1250501
पशुआहार बिक्री	243512	122935
अन्य आय	4103	6856
कुल योग	1922649	1380292
व्यय मद :		
1. सामग्री का उपयोग :		
2. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद खरीद	1085916	823330
3. वेतन एवं मजदूरी	109968	117084
4. उत्पादन व्यय	373671	252631
5. उत्पादित माल की कीमत (2 से 4 तक का योग)	1569555	1193045
6. पशुआहार एवं चारे की लागत	240718	121430
7. बेचे गये माल की लागत (5 से 6 तक का योग)	1810273	1314475
8. सकल लाभ (क्र.सं. 1—7)	112376	65817
9. बिक्री एवं वितरण	79392	34577
10. प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	20347	15486
11. आधिक्य / कमी (क्र.सं. 8—9—10)	12637	15754
12. अवधि ऋण एवं अधिविकर्ष पर ब्याज	1200	1367
13. घिसावट	3600	3591
14. शुद्ध लाभ / हानि (क्र.सं. 11—12—13)	7837	10796

टिप्पणी :

1. वित्तीय बजट एवं वास्तविक आय का आवश्यकतानुसार समूहिकरण किया गया है।
2. व्यय मद :— वेतन एवं मजदूरी, अल्पकालीन पूंजी ऋण ब्याज में स्वीकृत बजट से अधिक खर्च हुआ है, कि स्वीकृति प्रस्तावित है।

ह. / —
उप—प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
प्रबन्ध संचालक

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2015-16

राशि 000 रूपयों में

विवरण	बजट 2015–16
(ए) राजस्व :	
डबल टोड मिल्क	16994
टोंड मिल्क	363255
स्टैण्डर्ड मिल्क	148701
जयपुर पैक मिल्क	502240
एनएमजी बल्क	
दुग्ध उत्पाद	
घी	264289
एसएमपी	88180
टेबल बटर	8017
पनीर	34302
लस्सी	6624
छाछ	34500
दही	12420
चीज	33558
रसगुल्ला	4429
गुलाबजामुन	1886
फ्लेवर्ड मिल्क	1525
श्रीखण्ड	622
मिनरल मिक्सचर	103
यू एम. बी.	60
पशु आहार बिक्री	223686
विविध आय	3120
कुल राजस्व ए	1748511
(बी) क्रय लागत	
समितियों से दुग्ध संकलन	907146

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2015-16

राशि (हजारों में)

विवरण	बजट 2015-16
व्हाइट बटर क्रय	22950
एसएमपी क्रय	4672
टेबल बटर	7729
रसगुल्ला	2910
गुलाबजामुन	1356
फ्लेवर्ड मिल्क	1419
मिनरल मिक्सचर	96
यू एम. बी.	37
पशु आहार क्रय	221775
कुल क्रय लागत बी	1170090
(सी) शुद्धमार्जिन ए-बी	578421
(डी) परिवर्तनशील लागत	
दुग्ध संकलन परिवहन व्यय	150461
समितियों का ओवरहेड	25679
बी.एम.सी खर्च	9072
ईंधन	39000
बिजली	24120
रसायन	1632
टेंकर रिपेयर एवं ईधन/अनुबन्धित टेंकर	10200
लेबर	18000
अन्य प्रोसेस	21461
पैकिंग चार्जेज	
दुग्ध	25285
घी	4801
एसएमपी	789
अन्य पैकिंग चार्जेज	8811

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2015-16

राशि (हजारों में)

विवरण	बजट 2015—16
एनएमजी परिवहन	
आरएमजी परिवहन (पैक्ड)	29821
आरएमजी जॉब वर्क परिवहन	15407
सिटी सप्लाई परिवहन खर्च	11242
आरसीडीएफ सेस	8450
सब टोटल (सी)	404231
(ई) कन्ट्रीब्यूशन (सी–डी)	174190
स्थाई व्यय	
वेतन एवं अन्य परिलाभ	137105
मरम्मत एवं रखरखाव संयंत्र	6000
मरम्मत एवं रखरखाव भवन	2100
ट्रेवलिंग एण्ड कनवेन्स	876
वाहन खर्च	3000
बीमा	900
विज्ञापन एवं सेल्स प्रमोशन	840
कार्यालय व्यय	13878
अन्य विविध स्थाई खर्चे	600
कुल स्थाई लागत (एफ)	165299
योजनाअन्तर्गत आधिक्य/घाटा(+/-) टीआईपी (जी)	
ब्याज एवं घिसावट से पूर्व लाभ (एच)(ई–एफ–जी)	8891
(आई) कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आरसीडीएफ)	3000
(जे) नकद लाभ (एच–आई)	5891
घीसावट (के)	3600
शुद्ध लाभ (जे–के)	2291

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

भौतिक विवरण वर्ष 2015–16

मात्रा हजार किलो/लीटर

विवरण	2015—16
दुग्ध संकलन(हजार किलो प्रतिदिन)	110
दुग्ध संकलन/क्रय	
समितियों से दुग्ध संकलन	40123
व्हाइट बटर क्रय	100
एसएमपी क्रय	23
टेबलबटर	24
रसगुल्ला	30
गुलाबजामुन	12
फ्लेवर्ड मिल्क	21
मिनरल मिक्सचर	2
यू.एम. बी. (संख्या में)	1200
पशुआहार	15924
स्वंय का उत्पादन	
घी	719
एसएमपी	441
पनीर	135
लस्सी	150
छाछ	1250
दही	180
चीज	101
श्रीखण्ड	4
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री	
तरल दूध (लीटर में)	
डबल टोंड	548
टोड	9855
स्टेण्डर्ड	3650
जयपुर पैकड	15695
उत्पाद बिक्री (000 किलो)	
घी	719
एसएमपी	441
टेबल बटर	24
पनीर	135
लस्सी	150
छाछ	1250
दही	180
चीज	101
श्रीखण्ड	4
रसगुल्ला	30
गुलाबजामुन	12
फ्लेवर्ड मिल्क	21
मिनरल मिक्सचर	2
यू.एम. बी. (संख्या में)	1200
पशुआहार बिक्री	15924

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

पूंजीगत बजट वर्ष 2015–16 (राशि लाखो में)

क्रसं.	आईटम	मात्रा	अनुमानित मूल्य	आवश्यकता की जगह	रिमार्क
1	डेस्क टॉप कम्पयूटर मय प्रिन्टर एण्ड यूपीएस	8	7.00	पीएण्ड आई–1, मिल्क बिल–2, गुण नियंत्रक लैब–2, लेखाशाखा–1, इकाई खाजूवाला–1	
2	डेस्क टॉप कम्पयूटर मय प्रिन्टर एण्ड यूपीएस एण्ड स्केनर	1	1.00	लेखाशाखा–1	
3	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर्स (टेबल, कुर्सी, अलमारी, आयरन रैक, स्टूल–प्लास्टिक व लकड़ी, कम्प्यूटर कुर्सी, प्रभारी, कुर्सी, साईकिल, एक्वागार्ड आदि)		7.00	मुख्यालय बीकानेर / संयंत्र एवं विभिन्न अनुभागों तथा समस्त इकाईयों के लिए आवश्यकतानुसार	
4	कूलर (फाईबर) छोटा व बड़ा	7	0.60	बीकानेर के विभिन्न अनुभाग एवं इकाई–खाजूवाला, लूनकरनसर, बज्जू	
5	एसी. मय बैट्री	5	2.50		
6	फ्रिज 180 लीटर – 01 210 लीटर – 01	1 1	0.50	इकाई–छतरगढ़–180 लीटर, पीएण्डआई उरमूल 210 लीटर	
7	करन्सी काउंटिग मशीन	1	0.05	सरस पार्लर	
8	स्माल टूल्स एवं टक्लेस एण्ड अदर परमानेंट नेचर आईटम फोर प्लान्ट		2.00		
9	माश्चर एनालाईजर	1	0.40	गुण नियंत्रक लैब	
10	ब्रश्टिंग स्ट्रेन्थ मशीन अप टू 15 के.जी. प्रेशर	1	0.50	गुण नियंत्रक लैब	
11	पी.एच. मीटर	1	1.50	गुण नियंत्रक लैब	
12	पोटेसियो मीटर	1	3.50	गुण नियंत्रक लैब	
13	हॉट ऐअर ओवर डिजीटल	1	0.50	गुण नियंत्रक लैब	
14	ऑटोमैटिक बी. आर. मीटर	1	0.40	गुण नियंत्रक लैब	
15	मिल्क एडल्ट्रेशन टियाफेर (ईएमटी)	1	1.20	गुण नियंत्रक लैब	
16	कॉलोनी काउन्टर	1	0.10	गुण नियंत्रक लैब	
17	कन्टिन्यूस बटर मेकिंग मशीन	1	35.00	उरमूल प्लान्ट	
18	वेईग स्केल 200 कि.ग्रा.	1	0.50	उरमूल प्लान्ट	

क्रसं.	आईटम	मात्रा	अनुमानित मूल्य	आवश्यकता की जगह	रिमार्क
19	घी क्लेरिफायर एल्फा लेवर (2 केलएपीएच)	1	10.00	उरमूल प्लान्ट	
20	ऑनलाईन कोडिंग मशीन	4	1.00	उरमूल प्लान्ट	
21	साइलो (30 के.एल.)	1	15.00	उरमूल प्लान्ट	
22	रोटो पम्प विद गियर फोर खोआ मशीन	2	1.00	उरमूल प्लान्ट	
23	वैक्यूम पैक मशीन	1	3.00	उरमूल प्लान्ट	
24	बॉयलर विद चिमनी (5 टन)	1	80.00	उरमूल प्लान्ट	
25	स्क्रू एयर कम्प्रेशर	2	10.00	उरमूल प्लान्ट	
26	वेईन्ग स्केल	4	0.20	उरमूल प्लान्ट	
27	पेलेट्स	100	5.00	उरमूल प्लान्ट	
28	बटर चर्ण मोटर 25 एच.पी.	1	0.40	उरमूल प्लान्ट	
29	सप्लाई फेन मोटर फोर पाउडर प्लान्ट 20 एच.पी.	1	0.40	उरमूल प्लान्ट	
30	एक्जेस्ट फेन मोटर फोर पाउडर प्लान्ट 30 एच.पी.	1	0.50	उरमूल प्लान्ट	
31	अमोनिया कम्प्रेशर मोटर 120 एच.पी.	1	2.00	उरमूल प्लान्ट	
32	फ्रीक कम्प्रेशर मोटर 1400 आरपीएम 30 एच.पी.	1	0.50	उरमूल प्लान्ट	
33	ऐयर स्क्रू कम्प्रेशर मोटर 30 एच.पी.	1	0.40	उरमूल प्लान्ट	
34	क्रेट कन्वेटर मोटर	1	0.50	उरमूल प्लान्ट	
35	क्रेट कन्वेटर गियर बॉक्स	1	1.00	उरमूल प्लान्ट	
36	क्रेट वाशर मोटर	1	0.50	उरमूल प्लान्ट	
37	विविध पूंजीगत सामग्री	1	5.00		कम मूल्य की वह सामग्री जो कम मूल्य की है।
	योग		**200.65**		

नोट :- संघ के लाभ से अधिक का पूंजीगत बजट है वर्ष 2014-15 में लाभ से अधिक का राजस्व/राशि राजकीय अनुदान/सहायता स्कीम से प्राप्त न होने के कारण पुनः पूंजीगत बजट को वर्ष 2015-16 में लाभ से अधिक का राजस्व / राजकीय अनुदान/सहायता तथा स्कीम से प्राप्त की जावेगी।